### उत्तर क्षेत्रीय समिति

### ाय अध्यापक शिक्षा परिषद

भारत सरकार का एक विधिक संस्थान )



### Northern Regional Committee National Council for Teacher Education

(A Statutory Body of the Government of India)

No./NRC/NCTE/ RJ-1541/2015

# TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART III SECTION 4 30 APR 2015

#### ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

- AND WHEREAS, the institution Maharishi Teacher Training College, Vill. Jagdishpura, VPO- Sarund, Kotputali, Rajasthan has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.
- AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution two basic units of 50 students each subject to fulfillment of the following conditions namely.
  - The institution shall create additional facilities which include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adherence to staff norms as per Regulations, 2014 and inform the Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
  - The applicant Institution, for additional unit will be required to submit the required documents. such as land documents, Non-Encumbrance Certificate (NEC), Land Use Certificate (CLU) and the Building Plan (BP) in the format available on the website, to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities, before October 31, 2015. Building Completion Certificate (BCC) may be given along with other documents, if available, otherwise it may be given to the Visiting Team at the time of inspection.
  - The Regional Committee shall arrange for verification of documents, inspection of the premises and check anherence to these conditions by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.
  - In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.
- Now therefore, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to Maharishi Teacher Training College, Vill. - Jagdishpura, VPO-Sarund, Kotputali, Rajasthan for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 for two basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein, before 31,10.2015.
- Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body. State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of

कार्यालय: चौथी मंजिल, जीवन निधी-॥, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्विल

भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 005 (राजस्थान) कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरायल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Phone No 0141-2744288, 2744635, Fax: 0141-2744173

Office: 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)

Jurisdiction: U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan Website: www.ncte-india.org E-mail.: nrc@ncte-india.org.

## उत्तर क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)



### Northern Regional Committee National Council for Teacher Education

(A Statutory Body of the Government of India)

#### TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION 4

F.NRC/NCTE/RJ-1541/2015/

M4 FEB 2017

### CORRIGENDUM

The name of the institution mentioned as Maharishi Teacher Training College, Village – Jagdishpura, VPO – Sarund, Kotputali, Rajasthan in the recognition order No. File No. NRC/NCTE/RJ-1541/96515 dated 30.04.2015 may be read as Maharishi Sandeepni Teacher Training College, Village – Jagdishpura, VPO – Sarund, Kotputali, Rajasthan.

Other contents of the recognition order No. File No. NRC/NCTE/RJ-1541/96515 dated 30.04.2015 shall remain same.

(Satish Gupta) Regional Director (I/C)

The Manager
Govt, of India Press
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi – 110 054

#### Copy to:

- 1. The Principal, Maharishi Sandeepni Teacher Training College, Village Jagdishpura, VPO Sarund, Kotputali, Rajasthan.
- 2. The Registrar, MDS University, Ajmer, Rajasthan.
- The Secretary, Higher Education, Government of Rajasthan, Main Building, Secretariat, R.No. 2007, Main Building, Jaipur 302005.
- The Secretary to the Govt, of India, Ministry of Human Resource Development (Deptt. Of School Education & Literacy), Shastri Bhawan, New Delhi -110001.
- The US (EDP), National council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bhadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.
- 6. MIS/ File-MIS, NRC Jaipur.
- Officer order file..

Regional Director (I/C)

कार्यालय: चौथी मंजिल, जीवन निधी-II. एल,आई.सी. बिल्डिग, अम्बेडकर सर्विल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 005 (राजस्थान)

कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान Phone No 0141-2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173

Office: 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)

Jurisdiction: U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthai
E-mail.: nro@ncte-india.org, Website: www.ncte-india.org



### राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्राचर्य, महर्षि संदीपनी टी.टी. कॉलेज, जगदीशपुरा, कोटपुतली, जयपुर।

कमांकः शैक्षणिक द्वितीय/2017/ 231.

दिनांक : 8/3/2 017

विषय:- महाविद्यालय के नाम में संशोधन करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय कुलपित महोदय के आदेश दिनांक 27.02.2017 की अनुपालना तथा एन.सी.टी.ई. के पत्र क्रमांक 167110–15 दिनांक 14.02.2017 के क्रम में सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय का नाम "Maharishi Teacher Training College, Village- Jagdishpura, VPO- Sarund, Kotputli, Rajasthan के स्थान पर Maharishi Sandeepani Teacher Training College, Village- Jagdishpura, VPO- Sarund, Kotputli, Rajasthan " किया जाता है।

भवदीय १ १८४० १, उप-कुलसचिव शैक्षणिक

क्रमांकः शैक्ष.द्वितीय/2017/232/

दिनांक:- 8 /3/2.१7

प्रतिलिपि परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

अनुभागाधिकारी (शैक्ष. द्वितीय)

13

आयुक्तालय

शिक्षा

क्रमाक:-एफ24(NOC18-19) / बी.एड / आकाशि / 18 / 2 4 4

दिनांक:-02. 4.2018

### आदेश

निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पारिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा बी.एड. /बी.पी.एड. (२ वर्षीय पाठ्यक्रम) के हेतु मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकारं द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालययों / विश्वविद्यालयों हेतु सत्र 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीटों अथवा सत्र 2015-16 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पारिषद् के रेगुलेशन 2014 के अनुसार निर्धारित सीटों में से, जो भी कम हो की प्रदत्त मान्यता के अनुसरण में सन्न 2018-19 के लिए संलग्न सूची के अनुसार शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों को केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधीलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतदद्वारा जारी किया

- प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रदेश व्यवस्था के अन्तर्गत बी.एड. कोर्स में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के
- माध्यम से पी.टी.ई.टी.2018 परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें। प्रदेश में केन्द्रीयकृत, प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत बी.पी.एड कोर्स में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से प्री.बी. पी.एड. परीक्षा 2018 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुक्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है,तो संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रमाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साध राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताघारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चित्ता की जावेगी।
- निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षण-प्रशिक्षण पाद्यक्रम संचालन हेतु प्रदेश में केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित
- निजा विश्वविद्यालयों को शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हतु प्रदश् म कन्द्रायकृत व्यवस्था क अन्तर्गत सम्बान्धत नोडल एजेन्सी के माध्यम से प्रदेश पूर्व परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें। राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग में भाग ले रहे महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फंडरेशन / सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यकम में प्रदेश प्रदान नहीं करेगें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी निजी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को सत्र 2018–19 के लिए अभिवृद्धि पाठ्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी निजी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को सत्र 2018–19 के लिए अभिवृद्धि पाठ्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी निजी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को सत्र 2018–19 के लिए अभिवृद्धि पाठ्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी निजी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को सत्र 2018–19 के लिए अभिवृद्धि पाठ्य स्वर्थक स्वर्यक स्वर्थक स्वर्यक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्यक स्वर्यक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्यक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्यक स्वर्यक
- शुल्क राशि रूपये 25000/- राजकोष के मद 0202-01-103-02-03बी.एड.महाविद्यालय से प्राप्तियां में जमा कराकर काउन्सिलंग से पूर्व सम्बन्धित नोडल एजेन्सी में ई-चाालान रसीद की एक प्रति एवं एक प्रति आयुक्तालय,कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर में अनिवार्य रूपसे से जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
- समस्त शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थायें स्वयं की वेबसाईट निर्मित करेगें। उसके URL Name को आवेदन में अंकित करना होगा। इस वेबसाईट में महाविद्यालय को निम्न बिन्दुओं का आवश्यक रूप से उल्लेख करना होगा:-
  - महाविद्यालय की आधारभूत संरचना से सम्बन्धित दस्तावेज
  - ii. महाविद्यालग्न भवन में उपलब्ध कक्षों की संख्या, प्रायोगशाला, माप एवं चित्र
  - iii. महाविद्यालय में संचालित कोर्स में नामाकित छात्रों की संख्या (कुल स्वीकृत सीट,प्रवेशित छात्रों की संख्या)
  - एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के नियमानुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक iv. स्टॉफ की सूची
- प्रत्येक 15 दिन में वेबसाईट अपडेट भी करनी होगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।

निजी सचिव,अति०मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा,. (ग्रुप-4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।

निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।

- समन्वयक, बी.एड., बी.एबी.एड. /बी.एससी. 2018 महर्षि वयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेवित कर लेख है कि सभी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं से ई-चालान रसीद प्राप्त करने के परचात काउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें।
- समन्वयक, प्री.बी.पी.एड. 2018, शिक्षा विमाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं से ई-चालान रसीद प्राप्त करने के पश्चात काउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान
- रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालयों को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के बिन्दू 4 व 5 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
- क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग,जयपुर।
- परियोजना अधिकारी,राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय,जयपुर। 10. रजिस्ट्रार/सचिव/ प्राचार्य, सभी शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय
- 11. प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
  - 12 एसित प्रचातनी।

आय लिज शिक्षा, रा



1			Institute Name		Tehsil	B.Ed Type	2018-19 seats
	326	Jaipur	Khoj TT College (112C058)	到一次		Abe	
1	327	Jaipur	L.B.S. College of Education , Airport Circl	Sangan		C	100
-	128	Jaipur	Sungarier, Jaipur	e, Sangan	er	c	100
-			Lai Bahudar Shastri Mahila TT Colleg (112W082)	Jaipur		w	120
		Jaipur	Late Kumari Laxmi Badhala Mahila B.Ed. College (112W083)	Chomu		w	100
3.	30	Jaipur	Laxmi Bal Teacher Training College (112W	(084) Jamwa F	Ramparh	w	
33	31 /	alpur	Lokesh TT College (112C123)	Jaipur			100
33	2 1	alpur	LOKMANYA TILAK T.T. COLLEGE (112CO11	Jaipur		С	100
33	3 Ja	aipur	M K B Mahila T T College (112W085)	Jaipur		c	100
33-	4 12	lipur	Maharishi Sandipani TT College (112C134)			w	100
335	5 Ja	ipur		The second second	de la la constante de la const	C	100
336		ipur	Maharshi Dayanand B.ED. College (112C01	2) Jaipur		c	100
V	70		Mahatma Gandhi College of Education (112C013)	Sanganer			100
337	Jai	pur	Mahatma Jyoti Ba Phule T T College (112W086)	Chomu		N	100
338	Jai	pur	Mahatma Jyoti Rao Phoole Women's B Ed	Jaipur		v	
339	Jain	pur	College (112W112)  Mahaveer B Ed College (112C027)				100
340	Jaip	our	Meera Girls College (112W115)	Sanganer			, 100
341	Jaip	ur		Jaipur	W		100
342	late		Meera Keshav Mahila TT College (112W087)	Sanganer	W		100
	Jaip	ur	Mehta TT College (112C053)	Ambher	c		100
343	Jaip	ur	Merry Gold B Ed College (112W088)	Ambher	w		
344	Jaipu	ır	MJRP College of Education (112C014)	Jaipur			100
45	Jalpu	ır	Modern Education Society Women TT College (112W089)		C		100
46	Jaipu	,	(112W089) N.I.M.T. Mahiia B.Ed.College	Sangaer	W		100
47	Jaipur			Kotputli		+	100
			N.K. Shikshak Prakshishan Mahavidhyalaya (112C015)	Jaipur	C	-	100
48	laipur		Nav Bharti Shikshak Prashikshan Mahavidyalay	sangaer	C	-	
19	alpur		Navodova Mahila T.T. College (400)	Jaipur			200
0 1	aipur		Navrang Shishak Prashikchan Mahawida				100
1 J;	ipur			Viratnagar	C		100
2 32	lpur		10110 (112W091)	laipur	w		100
	-	,	Parishkar Institute of Education (112C127)	angaer	C	-	100

Carrie